केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone

No: CWC/ PCS & Tech Division/Circular/2024-25 Dated:16.04.2024

परिपत्र / CIRCULAR-1

गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, इस मौसम में तापमान में वृद्धि के साथ-साथ वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता भी न्यूनतम स्तर पर होती है, जिसके कारण लगभग हर ज्वलनशील वस्तु / सामग्री आग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। केंद्रीय भंडारण निगम विभिन्न प्रकार की अधिसूचित वस्तुओं का भंडारण करता है, गर्मी के मौसम में इन वस्तुओं में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि आग लगने की आशंका को खत्म किया जा सके | अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं को भी ध्यान रखना आवश्यक है :-

Summer season has started, in this season along with the increase in temperature the relative humidity in the atmosphere is also at its lowest level, due to which almost each every flammable object/commodity become highly sensitive to fire. Central Warehousing Corporation stores various types of notified items and the risk of fire in these items also increases during the summer season. Therefore, there is a need to be extra vigilant in this season, so that the possibility of fire can be eliminated. Apart from other precautions, it is also necessary to keep the following points in mind:-

1.भंडारगृह एक पूर्ण रूप से "धूम्रपान निषिद्ध "क्षेत्र है | भंडारगृह पर आने वाले आगंतुकों , जमाकर्ताओं, श्रमिकों, स्टाफ तथा ड्राइवर्स आदि को भंडारगृह के गेट पर आग लगने जैसे आपातकाल के दौरान भंडारगृह की आपात कालिक कार्य योजना की जानकारी दी जाए | किसी भी दशा में भंडारगृह परिसर में बीड़ी, सिगरिट , माचिस तथा लाईटर आदि ज्वलनशील पदार्थों के प्रवेश को सख्ती से रोका जाए |

The warehouse is a strictly **"NO SMOKING"** area. Visitors, depositors, workers, staff and drivers etc. coming to the warehouse should be informed about the emergency action plan of the warehouse during **Fire Emergency** at the warehouse gate itself. In any case, entry of inflammable substances like beedis, cigarettes, match box and lighters etc. into the warehouse premises should be strictly prohibited.

2.गोदामों तथा परिसर की साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए | किसी भी दशा में परिसर में कूड़ा- कचरा (अनुपयोगी बोरे तथा पोलीथीन के टुकड़े आदि) खुले में एकत्रित न होने दिया जाए | क्योंकि यह न केवल कीट संक्रमण का श्रोत हो सकता है , साथ ही इसके कारण आग लगने का भी खतरा रहता है |

Proper arrangements should be made for maintaining cleanliness of godowns and premises. Under no circumstances should garbage (unusable gunnies, pieces of polythene and discarded packaging material etc.) be allowed to accumulate in the open premises. Because these may be potential source of cross infestation and also pose a risk of fire.

3.परिसर में खड़े पेड़ों से गिरी सूखी पत्तियों को दैनिक रूप से एकत्रित करके परिसर के बहार चिन्हित स्थान पर निस्तारित किया जाए | किसी भी दशा में इन्हें परिसर में एकत्रित न करें और न ही परिसर में जलाने का प्रयास न किया जाए |

Fallen leaves inside the premises should be collected and disposed off on daily basis. Burning of leaves inside the premises should be strictly prohibited.

4.जिन गोदामों में कोटन भंडारित है, उनकी बिजली कटवा देनी चाहिए, जिससे शार्ट सिर्किट से आग लगने की सम्भावना न रहे |

Electricity should be disconnected in the godowns where cotton is stored to mitigate chances of fire due to short circuit.

5.केंद्र पर उपस्थित बिजली की फिटिंग्स को समय – समय पर चेक करते रहें ,जिससे स्पार्किंग से आग लगने की कोई सम्भावना न रहे

Regular checking of electrical fittings is necessary to avoid chances of fire.

6.यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि भंडारगृह पर लगे सभी इलेक्ट्रिकल पेनल पूर्ण रूप से कवर्ड हों |

It should be ensured that all electrical panels in the premises must be properly covered.

7.इलेक्ट्रिक वायरिंग को चेक करके यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जोड़ अच्छी तरह से लगे हों एवं उनकी पूर्ण रूप से टैपिंग हुयी हो |

All electrical connections /joints must be checked and proper insulation be ensured so as to prevent fire hazards.

8. कृपया केंद्र पर उपयोगी, भंडारित सामग्री के अनुरूप, सहज पहुँच में, नियमानुसार पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए |साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट किया जाए कि अग्निशन यंत्र चार्ज हों तथा उन पर ,उनका प्रकार , चार्जिंग तिथि एवं अगली चार्जिंग की तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो |

The serviceability, type, accessibility and adequacy of fire extinguishers and fire buckets should be ensured. Further, it should also be ensured that the fire extinguishers are charged and of proper type, with the charging date and next charging date clearly mentioned on them.

9. जहाँ तक अग्निशमन बाल्टियों का प्रश्न है इस विषय में यह ध्यान रखा जाए कि कुल अग्निशमन बाल्टियों की आधी बाल्टियाँ सूखी महीन बालू से तथा शेष आधी बाल्टियाँ पानी से भर कर भंडारगृह में स्ट्रेटिजिक पॉइंट्स पर लगाना सुनिश्चित किया जाए|

Half of the total serviceable fire buckets should be filled with water and rest with fine dry sand. Also ensure availability of these fire buckets as per norms at strategic points.

10. साप्ताहिक रूप से अग्निशमन यंत्रों तथा बाल्टियों का निरीक्षण किया जाए तथा उसे दस्तावेजीकृत किया जाए | अग्निशमन यंत्रों के साप्ताहिक निरीक्षण के समय उनके नोज़ल की क्लीयरेंस , cartridge की इंटिग्रिटी, तथा प्लंजर का रिस्पोंस आदि की जाँच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपस्कर सही तरीके से कार्य कर रहे हों |

Fire extinguishers and fire buckets should be inspected weekly and same be documented. At the time of weekly inspection of fire extinguishers, the clearance of their nozzle and integrity of cartridge, response of plunger, etc. should be checked to ensure that the equipment is working properly .

11. माक ड्रिल, ISO सिस्टम की एक अनिवार्यता है |अतः इसे निश्चित समयावधि पर दुहराया जाए ,जिससे आपातकाल की स्थिति के लिए तैय्यारी के स्तर का पता चल सके | माक ड्रिल के उपरांत प्राप्त रेस्पोंस / आकड़ों का विश्लेषण किया जाए तथा तत्काल प्रभाव से सुधारात्मक कदम उठाये जाए |

As per the ISO system, mock drill is to be conducted periodically as per the emergency preparedness plan, to evaluate the response time etc. and take corrective action accordingly.

12.निरीक्षण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से निरीक्षण के दौरान माक ड्रिल करके केंद्र पर उपस्थित सभी लोगों को आग लगने की आपातकालिक स्थिति में किस तरह से व्यवहार करना है, की जानकारी दी जाए | साथ ही यदि किसी उपस्कर में कोई खामी द्रष्टिगत होती है तो तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए |

The Inspection Officers must carry out **Mock Drill** for fire-fighting during inspection not only to train the workers , staff and other stakeholders on fire-fighting but also to ascertain serviceability of Fire-fighting equipments/system and take action on the spot to rectify the defects.

13. कोटन तथा रसायनों के भंडारण में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है |इन्हें अनिवार्य रूप से परिभाषित कोड ऑफ़ स्टोरेज प्रैक्टिस के अनुरूप भंडारित किया जाए | किसी भी दशा में दो रिएक्टिव रसायनों को एक साथ भंडारित न किया जाए | भंडारित स्टॉक के अनुरूप अग्निशमन यंत्र लगाये जाए तथा इस जानकारी को गोदाम के बहार प्रदशित किया जाए ,जिससे सभी अवगत रहें |

Hazardous commodities like Cotton & Chemicals must be stored away from others in separate compartments as per their specific code of storage practices. Reactive chemicals should not be stored together. A chart showing compatibility of Fire-extinguisher with type of Fire and suitable for commodities must be displayed on wall outside each godown for knowledge of all work force in the warehouse and all should be trained on the working of each type of fire-extinguisher.

14.केंद्र पर समुचित पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा यदि केंद्र पर स्टेटिक टैंक है तो उसकी आवश्यकतानुसार मरम्मत करके, उसे पूर्ण रूप से पानी से भरा रखा जाए |

Static tank should be filled with water and if need be, repaired/renovated so that the same can be utilized during the time of any exigency.

15.आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण फ़ोन नम्बरों को भंडारगृह परिसर में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए |

Emergency contact numbers like Mobile number of Warehouse Manager, Regional Manager and designated Emergency Officer, Police, Fire Station ,Hospital/s etc. must be displayed at prominent places.

16.बीमा रजिस्टर, स्टॉक की स्थिति आदि हर हाल में दैनिक आधार पर अपडेट किया जाए |

Insurance register , stock position etc. must be updated on day-to-day basis.

17.परिसर में आने - जाने वालों की सघन मोनिटरिंग की जाए, जिससे किसी भी समय पर परिसर में उपस्थित लोगों कि संख्या का सटीक पता लग सके|

Entry/exit of people in the warehouse premises should be properly recorded so as to keep a check on the number of people in the premises at a given point of time.

18.केंद्र पर लोकल फायर स्टाफ की मदद से कार्यशाला का आयोजन किया जाए, उसमे केंद्र के सारे स्टैकहोल्डर्स को शामिल किया जाए | जिससे वे भी केंद्र के आपातकालीन प्लान से अवगत हो सकें |

Organize workshops at the center with help of local fire Officer and involve all the stakeholders of the center in it so that they are also aware of emergency plan of the center.

19.जिन केन्द्रों पर जेनेरेटर उपलब्ध है, उसके लिए ख़रीदे जाने वाले डीजल को अलग सुरक्षित रखा जाए, उसे किसी भी दशा में स्टॉक के साथ गोदाम में न रखा जाए |

Diesel purchased for the centers where generator/s is/are available, should be kept separately and same shall not be kept it in the godown with stock.

20.जिन केन्द्रों पर ट्रक, मशीनें गोदाम के अन्दर जाते है, उन सभी के साईलेंसर पर फायर retardant अनिवार्य रूप से लगाया जाए |

It is necessary to put fire retardant on the silencers of the trucks and m/cs in the centers where the trucks and m/cs go inside the godown.

21.जिन केन्द्रों पर फायर hydrants लगे है, उनके फायर होज , फायर स्प्रिंकलर ,टू वे ब्रैचिंग,पाइप नोज़ल , एयर रिलीज़ वाल्व ,होज पाइप रील , जौकी पम्प , पम्प , फायर अलार्म तथा पॉवर बैक अप (डी.जी. सेट) आदि के रखरखाव की मुकम्मल व्यवस्था समय से की जाए |

Proper arrangement of maintenance of fire hose, fire hose box, fire-sprinkler, two way breeching, pipe nozzle, air release valve, hose pipe reel, jockey pump, pump, fire alarm and power back up (D.G. set) etc. should be made at centers where fire hydrants are installed.

Digitally signed by ANURAG TRIPATHI
Date: 2024.04.16 13:23:07 +05'30'

डॉ.अनुराग त्रिपाठी / Dr. Anurag Tripathi
महा प्रबंधक (तक)/ General Manager (Tech)

To,

All the Regional Managers , CWC. With the request to please, issue appropriate instructions to the field units and ensure compliance.

Copy to,

1. PS to MD/ Director (M&CP), CWC, Corporate Office, New Delhi
2. The Group General Manager (Comm), CWC, Corporate Office, New Delhi. For information and necessary action please.
3. The Chief Engineer, CWC, CO, New Delhi. For information and necessary action please.